



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 25.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 06 वर्ष 03 माह का कारावास एवं 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त राजू पुत्र पंचम निवासी इन्द्रानगर कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 221/20 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजू उपरोक्त को दोषी पाते हुए 06 वर्ष 03 माह का कारावास एवं 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहररि उ०नि०
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार
विजय राज

jalaunpolice

